(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0 एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2550–दो/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–7–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 853/अपील/2015–16

1. श्रीमती सुधा देवी पत्नी श्री राघवेन्द्र द्विवेदी
   पुत्री स्व0 श्यामलाल ब्रा.
   निवासी खेरा तहसील मउगंज जिला रीवा म0प्र0
   हाल निवास ग्राम भाटी तहसील हुजूर जिला रीवा
2. सन्ध्या देवी पत्नी श्री लवकुशप्रसाद तिवारी
   पुत्री स्व0 श्यामलाल
   निवासी ग्राम तिवनी मनगया जिला रीवा म0प्र0
   हाल ग्राम भाटी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
3. कु0 नेहा पुत्री लवकुश नाबालिग जरिये बली नाना
   शंकर प्रसाद निवासी ग्राम मलगांव तहसील
   रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. प्रहलाद कुमार मिश्र पिता बाल्मीक मिश्रा
   निवासी ग्राम भाटी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
2. म0प्र0 राज्य

——— अनावेदकगण

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक आवेदकगण
श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक कं 1
श्रीमती रजनी वशिष्ट, अभिभाषक, अनावेदक कं 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13 दिसम्बर 2016 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक प्रहलाद कुमार मिश्रा ने संहिता की धारा 109/110 के तहत प्रश्नाधीन भूमि पर वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तसीलदार हुजूर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण के प्रचलित रहते आवेदकगण ने वसीयत को फर्जी बताते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर वारिसान नामांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आवश्यक कार्यवाही के पश्चात आदेश दिनांक 03–7–2014 के द्वारा वसीयत को सिद्ध न पाते हुये वारिसान हक में नामांतरण आदेश पारित किया। अनावेदक कमांक 1 द्वारा इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मनगवां ने आदेश दिनांक 28–4–2016 को तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योगय न पाते हुये स्थिर रखा तथा अपील खारिज की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 ने द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत की। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 27–7–2016 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर वसीयत के आधार पर नामांतरण किये जाने के आदेश दिये गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्क में कहा कि आवेदिका कमांक 1 एवं 2 स्व0 श्यामलाल मिश्र की पुत्रियां है तथा आवेदिका कमांक 3 स्व0 श्यामलला के स्व0 पुत्र की एकमात्र लड़की संतान है जो नाबालिग है। आवेदकगण के पिता स्व0 श्यामलाल ने अपनी चल अचल सम्पत्ति की कोई भी वसीयत अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में नहीं लिखी। अनशवेदक कमांक ने स्व0 श्यामलाल की सम्पत्ति को हड़पने की नीयत से कूटरचित वसीयतनामा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। स्व0 श्यामलाल मिश्रा के जीवित दो पुत्रियां एवं एक मतक पुत्र की पत्री तथा उनकी पत्नी वसीयतनामा लिखे जाने दिनांक को मौजूद वैध उत्तराधिकारी मौजूद थी

इस कारण उनको अपनी समस्त सम्पतित की वसीयत किसी अन्य व्यक्ति को करने की आवश्यकता नहीं थी। यह भी तर्क दिया कि अनावेदक कमांक 1 ने आवेदकगण के पिता की मृत्यु हो जाने पर वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण का प्रकरण तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिसमें आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया गया। आवेदकगण द्वारा वारिसाना के आधार पर नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दोनों प्रकरणों को एक साथ निराकरण किया। विचारण न्यायालय ने वसीयत के संबंध में आये साक्षियों की विस्तृत विवेना के आधार पर वसीयतनामा को फर्जी एवं कूटरचित पाते हुये वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण आवेदन निरस्त किया तथा आवेदकगण के पक्ष में वारिसाना नामांतरण स्वीकृत किया। तर्क में यह भी कहा कि विचारण न्यायालय में वसीयत लेखक एवं साक्ष्य से वसीयत प्रमाणित नहीं पाई गई। पूर्ण सम्पत्ति का वसीयत करने का अधिकार भी स्व0 श्यामलाल को प्राप्त नही था इस कारण भी उक्त तथाकथित वसीयत अपने आप फर्जी व कूटरचित प्रमाणित है। विचारण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया था, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा इन बिन्दुओं पर बिना विचार किये वसीयत के आधार पर नामांतरण स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि वसीयतशुदा भूमियां वसीयतकर्ता स्व0 श्यामलाल को जरिये बटवारा प्राप्त होकर उक्त भूमियां श्यामलाल मिश्रा की स्वअर्जित भूमियां थी जिनमें श्यामलाल मिश्रा का अकेले स्वत्व व अधिपत्य था तथा वही उक्त भूमियों के मालिक काबित व भूमिस्वामी को ही अपने जीवनकाल में सगे भतीजे अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में दिनांक 18–7–11 को गवाहों के समक्ष वसीयत निष्पादित की गई। वसीकतकर्ता की मृत्यु के पश्चात वसीयतनामा के आधार पर अनावेदक कमांक 1 ने नामांतरण हेतु आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परन्तु

तहसीलदार ने वारिसों के पक्ष में नामांतरण आदेश देने में त्रुटि की है। यह भी तर्क किया कि वसीयत गवाहों एवं वसीयत लेखक से सिद्ध थी फिर भी तहसीलदार ने वारिसान नामांतरण का आदेश देने में त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा कि अपर आयुक्त ने विस्तार से आदेश पारित करते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के त्रुटिपूर्ण आदेशों को निरस्त किया है तथा वसीयत के आधार पर नामांतरण करने के आदेश दिये हैं। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 की ओर से वसीयत के आधार पर प्रस्तुत आवेदन में आवेदकगण को पक्षकार नहीं बनाया जबकि अनावेदक यह भली–भांति जानते थे कि मृतक भूमिस्वामी की दो पुत्रिया एवं एक पुत्र की पुत्री मौजूद है जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 की ओर से वसीयत के आधार पर प्रस्तुत नामांतरण आवेदन ही पक्षकार के असंयोजन के दोष के कारण ही निरस्ती योग्य था। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 की ओर से प्रस्तुत वसीयत में वसीयतकर्ता द्वारा सम्पूर्ण भूमियों की वसीयत कर देना और अपने विधिक वारिसों के हिस्से व हक के विषय में कोई भूमि शेष न छोडना अपने आप में ही संदिग्धता प्रकट करता है। अनावेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि मृतक श्यालाल मिश्रा की भूमि स्वअर्जित थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि श्यामलाल की स्वअर्जित भूमि न होकर पैत्रिक भूमि थी। ऐसी स्थिति में श्यामलाल को संपर्ण भूमि की वसीयत करने की अधिकारिता भी नहीं थी। विचारण न्यायालय में वसीयत के साक्षी एवं अनावेदक कमांक 1 के प्रतिपरीक्षण में विरोधाभाष से भी वसीयत को संदेह से परे नहीं माना जा सकता। इन्हीं कारणों से विचारण न्यायालय ने अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत वसीयत को संदिग्ध मानते हुये आवेदन

निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमियों का नामांतरण वारिसानों के हक में करने के आदेश दिये। तहसीलदार ने हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात तथा आवश्यक जांच करने के पश्चात वारिसाना नामांतरण संबंधी आदेश पारित किया है, तहसीलदार के उक्त आदेश को वैधानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण नहीं माना जा सकता। विचारण न्यायालय के विधिसम्मत आदेश को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित माना है। जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त ने अपने आदेश यह निष्कर्ष निकाला है कि भूमिस्वामी अपने वारिसों को भूमि नहीं देना चाहता इसलिए अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में वसीयत का निष्पादन किया है, मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भूमिस्वामी अपनी दो पुत्रियों एवं एकमात्र पुत्र की मृत्यु के पश्चात उसकी एकमात्र पुत्री को भूमि प्रदान नहीं करना चाहता तथा दूर के भतीजे को संपूर्ण भूमि वसीयत के माध्यम से देना न तो विश्वसीन है और न ही दस्तावेजों से यह तथ्य सिद्ध हुआ है। अपर आयुक्त ने रिकार्ड के विपरीत वसीयत को साक्षियों से प्रमाणित माना है जबकि विचारण न्यायालय में आये साक्षियों के प्रतिपरीक्षण में विरोधाभाष होने से वसीयत संदेह से परे सिद्ध नहीं हुई है। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अभिलेख से विपरीत होने एवं अवैधानिक होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 27–7–2016 निरस्त किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी मनगंवा जिला रीवा द्वारा पतिर आदेश दिनांक 28–4–2016 एवं तहसीलदार हुजूर जिला रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–7–2016 स्थिर रखे जाते हैं।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर